भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1617

(जिसका उत्तर गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग</u>

1617. श्री पी. आर. नटराजन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) के उद्देश्यों और कार्यकारी शक्तियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसके संबंधित अधिनियम के कथित उल्लंघन और विविध क्षेत्रकों में प्रभाव का दुरुपयोग करने के कितने मामले उक्त आयोग की जानकारी में आए हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने; बाजार में प्रतिस्पर्धा का संवर्द्धन करने और उसे बनाए रखने; उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने; तथा भारत में बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा पर व्यापक विपरित प्रभाव तथा विशिष्ट सहमतियों में प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली सूचनाओं/शिकायतों की जांच करता है। इसके अतिरिक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के ऊपर उद्यमों के विलयों एवं अधिग्रहणों पर आयोग के अनुमोदन हेतु इसे सूचित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) और (ग): आयोग ने अब तक 338 मामलों पर विचार किया है, जिनमें से 224 मामले निपटाए गए हैं। 28 मामलों में समाप्ति और निषेध आदेश पारित किए गए हैं तथा 19 मामलों में समाप्ति और निषेध आदेश के साथ-साथ कुल 8013.08 करोड़ रुपए का दंड भी लगाया गया है।

*****